दिनांक 29.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 351/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मुरादाबाद इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 29.06.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मुरादाबाद इकाई** द्वारा देवकरन निवासी ग्राम कुदैना चक थाना गजरौला जनपद अमरोहा से कृषि भूमि की पैमाइश व ठियाबन्दी कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक नवल मारवाह के नेतृत्व में सीएचसी गजरौला के सामने स्थित शम्भू स्वीट्स से **राजस्व निरीक्षक अरविन्द शर्मा (तहसील हसनपुर अमरोहा)** पुत्र स्व0 श्री वालेन्द्र कुमार शर्मा निवासी ग्राम चखातल थाना बलौन जनपद बुलन्दशहर को **10 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 29.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 352/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद बस्ती/थाना नगर</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 25 ग्राम गला हुआ सोना**
- **चोरी की सोने–चांदी के आभूषण**
- **30 हजार 500 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 29.06.2026 को थाना नगर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानों से 02 अभियुक्तों 1–सूरज कुमार 2–राहुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 25 ग्राम गला हुआ सोना, चोरी की सोने–चांदी के आभूषण, 30 हजार 500 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सूरज कुमार निवासी ग्राम अलीपुर बाजार थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

2–राहुल निवासी ग्राम मंगल बाजार थाना पुरानी बस्ती स्थायी पता–ग्राम मुण्डेरवा बाबू थाना तरकुलवा जनपद देवरिया।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 25 ग्राम गला हुआ सोना।

2–चोरी की सोने–चांदी के आभूषण।

3–30 हजार 500 रूपये नगद।

4–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

<u>जनपद सहारनपुर/थाना फतेहपुर</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **09 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **07 जीवित कारतूस विभिन्न बोर**
- **04 नाल विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 29.06.2026 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बुड्डाखेड़ा पुण्डीर नदी के डूब क्षेत्र में बने कमरे से अभियुक्त रोहित उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 09 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 07 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, 04 नाल विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–रोहित उर्फ बाबा निवासी ग्राम गणेशपुर थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–09 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–07 जीवित कारतूस विभिन्न बोर।

3–04 नाल विभिन्न बोर।

4–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा नगर</u>

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल**
- **चोरी के 05 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 28.06.2026 की रात्रि थाना खुर्जा नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सीकरी जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1–हर्ष 2–कुणाल 3–मोहित 4–करण को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल, चोरी के 05 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–हर्ष निवासी ग्राम हामिदपुर थाना टप्पल जनपद अलीगढ।

2–कुणाल निवासी बगरईकला थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।

3–मोहित निवासी ग्राम सैंदा फरीदपुर थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।

4–करण निवासी ग्राम बगरई खुर्द थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 08 मोटर साइकिल।

2–चोरी के 05 मोबाइल फोन आदि।

- **<u>जनपद इटावा/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–ऋषिराज 2–राकेश कुमार 3–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद एटा/थाना पिलुआ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना पिलुआ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 395/412 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त वाजिद को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————